भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2763
दिनांक 18 मार्च, 2025/ 27 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदम

†2763. श्री ईश्वरस्वामी के.:

श्री शेर सिंह घुबायाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में साइबर अपराध या धोखाधड़ी में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा देश में साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का बैंक धोखाधड़ी और साइबर अपराध को नियंत्रित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा साइबर सेल को हाई-टेक बनाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराधों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) देशवासियों और वित्तीय संस्थानों की क्षति की भरपाई के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (च) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 से 2022 की अवधि के दौरान साइबर अपराधों एवं साइबर अपराधों संबंधी धोखाधड़ी (माध्यम /लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक-I और II में दिया गया है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की

रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने और हाई-टेक साइबर सेल की स्थापना के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

ii. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

iii. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' शुरू की गई है। अब तक 13.36 लाख से अधिक शिकायतों में 4,386 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

iv. राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक स्तर पर साइबर फॉरेंसिक में सहायता प्रदान करने के लिए, आई4सी के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच)' स्थापित की गई है। अभी तक, साइबर अपराधों से संबंधित लगभग 11,835 मामलों की जाँच में मदद करने के लिए 'राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच)' ने राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

v. आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों के प्रतिनिधि

और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

vi. केंद्र सरकार ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अखबार में विज्ञापन, दिल्ली मेट्रो में उदघोषणा, विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया प्रभावकारी व्यक्तियों (Influencers) का उपयोग, प्रसार भारती और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभियान, आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रम और दिनांक 27.11.2024 को कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में 'राहगिरी' समारोह में भागीदारी आदि शामिल हैं।

vii. माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिनांक 27.10.2024 को "मन की बात" के दौरान डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में बात की और भारत के नागरिकों को अवगत कराया।

viii. आई4सी ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) के सहयोग से साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 और एनसीआरपी को बढ़ावा देने के लिए एक कॉलर ट्यून अभियान शुरू किया है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा दिन में 7-8 बार कॉलर ट्यून का प्रसारण क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जा रहा है।

ix. आई4सी ने डिजिटल गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 3,962 से अधिक स्काइप आईडी और 83,668 व्हाट्सएप खातों की सक्रिय रूप से पहचान की और उन्हें ब्लॉक कर दिया।

x. केंद्र सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस, एनसीबी, सीबीआई, आरबीआई और अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों का छद्म भेष धारण करने वाले साइबर अपराधियों द्वारा 'ब्लैकमेल' और 'डिजिटल गिरफ्तारी' की घटनाओं के खिलाफ अलर्ट पर एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की है।

xi. दिनांक 28.02.2025 तक, पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 7.81 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2,08,469 आईएमईआई को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।

xii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय संबंधी कार्यढांचे को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साथ लेकर साइबर अपराध संक्रेंद्रित स्थलों (हॉटस्पॉट)/ बहु-क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों वाले क्षेत्रों के आधार पर, पूरे देश को कवर करते हुए मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी के लिए सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमों (जेसीसीटी) का गठन किया गया है। जेसीसीटी के लिए सात कार्यशालाएं हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम, लखनऊ, रांची और चंडीगढ़ में आयोजित की गईं।

xiii. समन्वय प्लेटफॉर्म को प्रचालनात्मक बनाया गया है जो साइबर अपराध संबंधी डेटा के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा भंडार और समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के अंतर्राज्यीय संबंधों पर आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियों और अपराध संबंधी अवसंरचना के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, ताकि क्षेत्राधिकारियों को इसकी जानकारी मिल सके। यह मॉड्यूल विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आई4सी और अन्य एसएमई (SMEs) से तकनीकी-कानूनी सहायता मांगने तथा प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे 6,046 आरोपियों की गिरफ्तारी, 17,185 लिंकेज और 36,296 साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

xiv. गृह मंत्रालय ने ''पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता'' योजना के अंतर्गत नवीनतम हथियारों, प्रशिक्षण यंत्रों, उन्नत संचार/फारेंसिक उपकरणों, साइबर पुलिसिंग संबंधी उपकरणों, आदि की खरीद हेतु राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की है। राज्य सरकारें साइबर अपराधों से निपटने सहित अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं और जरूरतों के अनुसार 'राज्य कार्य योजनाएं (एसएपी)' तैयार करती हैं।

xv. विदेश मंत्रालय समय-समय पर अलग-अलग देशों के साथ द्विपक्षीय साइबर वार्ता भी आयोजित करता है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), गृह मंत्रालय देश में साइबर अपराध के लिए एक नोडल एजेंसी होने के नाते इस तरह के साइबर संवादों में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

xvi. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) ने भारतीय एलईए और विदेशी एलईए के बीच प्रभावी इंटरफेस के रूप में काम किया और इंटरपोल चैनलों के माध्यम से सूचना के नियमित आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहायता और समन्वय के मामलों में एनसीबी, सीबीआई और भारतीय एलईए के बीच संचार को और सुव्यवस्थित करने के लिए 'भारतपोल' पोर्टल शुरू किया गया है।

xvii. सीबीआई जी-7 24/7 नेटवर्क के लिए नोडल एजेंसी है। जी-7 24/7 साइबर अपराध से संबंधित मामलों में डेटा संरक्षण अनुरोध करने के लिए सुरक्षित चैनल है।

xviii. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (cyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c),

रेडियो कैंपेन के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, कॉलर ट्यून, कई माध्यमों से प्रचार हेतु माईगव का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना, डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले पर अखबार में विज्ञापन, डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर अपराधियों की अन्य कार्यप्रणालियों पर दिल्ली मेट्रो में उदघोषणा, डिजिटल गिरफ्तारी पर विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया प्रभावकारी व्यक्तियों (Influencers) का उपयोग, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन (Displays) आदि शामिल हैं।

*****

अनुलग्नक-I

लोक सभा. अता. प्र. सं. 2763 दिनांक 18.03.2025

वर्ष 2020-2022 के दौरान साइबर अपराधों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज किए गए मामले (सीआर)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	1899	1875	2341
2	अरुणाचल प्रदेश	30	47	14
3	असम	3530	4846	1733
4	बिहार	1512	1413	1621
5	छत्तीसगढ़	297	352	439
6	गोवा	40	36	90
7	गुजरात	1283	1536	1417
8	हरियाणा	656	622	681
9	हिमाचल प्रदेश	98	70	77
10	झारखंड	1204	953	967
11	कर्नाटक	10741	8136	12556
12	केरल	426	626	773
13	मध्य प्रदेश	699	589	826
14	महाराष्ट्र	5496	5562	8249
15	मणिपुर	79	67	18
16	मेघालय	142	107	75
17	मिजोरम	13	30	1
18	नागालैंड	8	8	4
19	ओडिशा	1931	2037	1983
20	पंजाब	378	551	697
21	राजस्थान	1354	1504	1833
22	सिक्किम	0	0	26
23	तमिलनाडु	782	1076	2082
24	तेलंगाना	5024	10303	15297
25	त्रिपुरा	34	24	30
26	उत्तर प्रदेश	11097	8829	10117
27	उत्तराखण्ड	243	718	559
28	पश्चिम बंगाल	712	513	401
	कुल राज्य	**49708**	**52430**	**64907**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5	8	28
30	चंडीगढ़	17	15	27
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3	5	5
32	दिल्ली	168	356	685
33	जम्मू और कश्मीर	120	154	173
34	लद्दाख	1	5	3
35	लक्षद्वीप	3	1	1
36	पुदुचेरी	10	0	64
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**327**	**544**	**986**
	कुल (अखिल भारत)	**50035**	**52974**	**65893**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया'।

अनुलग्नक-II

लोक सभा अता.प्र.सं. 2763 दिनांक 18.03.2025

वर्ष 2020-2022 के दौरान साइबर अपराधों संबंधी धोखाधड़ी के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज किए गए मामले (सीआर)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	764	952	984
2	अरुणाचल प्रदेश	3	2	0
3	असम	58	82	16
4	बिहार	1294	1373	1441
5	छत्तीसगढ़	71	67	42
6	गोवा	1	1	11
7	गुजरात	205	208	108
8	हरियाणा	36	52	44
9	हिमाचल प्रदेश	1	6	9
10	झारखंड	83	79	98
11	कर्नाटक	0	6	0
12	केरल	6	16	26
13	मध्य प्रदेश	69	89	180
14	महाराष्ट्र	2032	1678	2202
15	मणिपुर	0	0	0
16	मेघालय	10	0	0
17	मिजोरम	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0
19	ओडिशा	1079	1205	957
20	पंजाब	16	29	61
21	राजस्थान	332	371	292
22	सिक्किम	0	0	0
23	तमिलनाडु	5	107	251
24	तेलंगाना	3316	7003	9581
25	त्रिपुरा	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	837	614	766
27	उत्तराखण्ड	1	0	31
28	पश्चिम बंगाल	145	40	30
	कुल राज्य	**10364**	**13980**	**17130**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	2
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0
32	दिल्ली	31	19	331
33	जम्मू और कश्मीर	0	8	7
34	लद्दाख	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**31**	**27**	**340**
	कुल (अखिल भारत)	**10395**	**14007**	**17470**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया'।